तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :– 169 / 2022 सुमिता देवी बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2022	तहसीलदार झुंझुनूं से पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2022 / 3018 दिनांक 10.10.2022 द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चारणवासउर्फसुल्तानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 90 तथा ग्राम प्रतापपुरा पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 107 स्थित है जिसमें प्रार्थिया का 1/12 हिस्सा है। प्रार्थिया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थिया के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थिया का नाम सुमिता देवी दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में भूलवश प्रार्थिया का नाम ग्राम चारणवासउर्फसुल्तानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 90 में सुविता पुत्री सुन्दाराम तथा ग्राम प्रतापपुरा पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 107 में सुविता पुत्री सुण्डाराम गलत दर्ज हो गया है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार झुन्झुनू की रिपोर्ट अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने पत्रांक भू0अ0 / 2022 / 3018 दिनांक 10.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम ग्राम चारणवासउर्फसुल्तानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 90 में सुविता पुत्री सुन्दाराम की बजाय सुमिता देवी पुत्री सुण्डाराम तथा ग्राम प्रतापपुरा पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 107 में सुविता की बजाय सुमिता देवी पुत्री सुण्डाराम किया जाना उचित है। ग्राम चारणवासउर्फसुल्तानसर की संलग्न जमाबंदी संवत 2044 से 2047 के खाता संख्या 53 में भी प्रार्थिया के पिता का नाम सुण्डाराम दर्ज रिकॉर्ड था। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुन्झुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः **<u>आदेश</u>** प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चारणवासउर्फसुल्तानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 90 में सुविता पुत्री सुन्दाराम की बजाय सुमिता देवी पुत्री सुण्डाराम तथा ग्राम प्रतापपुरा पटवार मंडल प्रतापपुरा में हाल खाता संख्या 107 में सुविता की बजाय सुमिता देवी पुत्री सुण्डाराम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	